न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 259 / 2021

फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 702, सेवन्थ फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नम्बर 13—14, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर— 302021 जरिये प्रधिकृत अधिकारी गौरव कुमावत

—— प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र नैन पुत्र श्री दीवान सिंह नैन, पता वार्ड नं0 22, जनकपुरी बाईपास रोड, अपोजिट विश्वकर्मा ट्रेडिंग, पिलानी, जिला झुंझुनूं— 333031
2. अभिराम नैन पुत्र श्री रामचन्द्र नैन, पता वार्ड नं0 22, जनकपुरी बाईपास रोड, अपोजिट विश्वकर्मा ट्रेडिंग, पिलानी, जिला झुंझुनूं— 333031
3. श्रीमती शीला नैन पत्नि रामचन्द्र नैन, पता वार्ड नं0 22, जनकपुरी बाईपास रोड, अपोजिट विश्वकर्मा ट्रेडिंग, पिलानी, जिला झुंझुनूं— 333031
4. धमेन्द्र सिंह पुत्र घूप सिंह, पता बिडला पब्लिक स्कूल, सीनियर सेक्शन, पिलानी, जिला झुंझुनूं— 333031

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

——

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा— प्रार्थी की ओर से
2. एडवोकेट श्री रामसिंह झाझडिया— अप्रार्थीगण सं0 1, 3 व 4 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.11.2022

प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र (Last audited balance sheet) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—झ के खंड (च) मे यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपये से अधिक की आस्ति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार के वित मंत्रालय (वित्तीय सेवायें विभाग) द्वारा दि[illegible] को जारी अधिसूचना का0आ0 856 (अ) एवं दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का0आ0 652 (अ [illegible] बीस लाख रूपये और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध मे प्र[illegible] के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम [illegible]02 की धारा 2 के खण्ड (ड) के उप खण्ड (iv) के तहत वित्तीय संस्था प्रयोजनों के लिए वित्तीय संस्था के रूप मे विनिर्दि[illegible] गया है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था के साथ [illegible]नांक 29.01.2018 ऋण[illegible]ध संख्या FIJNLALONS000005001038 निष्पादित कर रूप्ये 25,90,012 / — (अक्षरे पच्चीस लाख नब्बे हजार बारह रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 16:43:31 IST
Reason: SelfAttested.

जिला कलक्टर झुन्झुनू

रूप मे अपने स्वामित्व की अचल सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे साम्यिक बंधक किया हुआ है। जिसका वर्णन निम्न प्रकार है:–

बंधक सम्पत्ति का विवरण
रामचन्द्र नैन पुत्र श्री दीवान सिंह नैन की अचल सम्पत्ति जो कि आबादी भूमि, वार्ड नम्बर 14, भरिना पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी साम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेफल 324 वर्गगज है। जिसकी चतुर्सीमायें निम्न प्रकार है:– पूर्व मे:– मानसिंह की जमीन पश्चिम मे:– डॉक्टर करण सिंह की जमीन उत्तर मे:– रोड दक्षिण मे:– स्वयं की जमीन

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान मे व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर ऋण खाता को दिनांक 11.04.2021 को प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अक्रियान्वित आस्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता मे बकाया रूपये 27,26,481:– (अक्षरे सताईस लाख छब्बीस हजार चार सौ इक्यासी रूप्ये मात्र) दिनांक 17.08.2021 तक शेष देय है व दिनांक 18.08.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 25.08.2021 को डिमाण्ड नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया एवं डिमाण्ड नोटिस का सार दो समाचार पत्रों मे प्रकाशित भी करवाया गया जिसके बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा नियत समयावधि मे उपरोक्त बकाया देय राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही किया। अप्रार्थीगण द्वारा मियाद अवधि 60 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही किया है। अतः उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी वित्तीय संस्था उक्त चरण संख्या 3 मे वर्णित बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त बकाया देय राशि को वसूलने की अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 3 मे वर्णित सिक्यूरिटी बंधक सम्पत्ति पर ताले लगे होने की स्थिति मे सम्पत्ति पर लगे तालों को तोडा जाकर कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमायें जाने की कृपा करे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित अप्रार्थीगण की अचल सम्पत्ति का कब्जा जरिये पुलिस इमदाद अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त Balkrishna Rama Tarle Thr LRS & Anr. Versus Phoenix ARC Private Limited & Ors. Special Leave Petition No. 16013 of 2022 के अनुसार बकाया ऋण की वसूली के लिए अलग–अलग न्यायालयों मे वसूली की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे ही न्यायिक दृष्टान्त अन्य उच्च न्यायालयों के भी रहे है। अप्रार्थीगण ने एक और तो समझौता करते हुए बकाया ऋण राशि का चैक सं0 26206[illegible] दिनांक 12.08.2022 का प्रार्थी के पक्ष मे दिया था तथा दूसरी और अप्रार्थीगण ने बैंक से उक्त चैक का भुगतान रूकवा [illegible] वसूली के संबंध मे अप्रार्थीगण इस न्यायालय मे आपत्ति पेश नही कर सकते है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टान्त के अनुसार आरबीट्रेशन के साथ–साथ धारा 14 की कार्यवाही चल सकती है। प्रकरण मे कोई स्थगन आदेश नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का [illegible] निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक [illegible] प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

वकील अप्रार्थीगण सं0 1, 3 व 4 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय विशिष्ठ वाणिज्यिक न्यायाधीश, अलवर मे मुकदमा नं0 1115/2021 वसूली के लिए कर रखा है। जिसमे दिनांक 11.11.2021 को कुर्की वारण्ट जारी हो चुका है जिसमे जिला न्यायाधीश, झुंझुनूं के लिए सम्पत्ति कुर्क करने के लिए पत्र कमांक 669–671 दिनांक 18.06.2022 जारी हो चुका है। जो कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र मे स्थगन की तारीफ मे आती है। प्रार्थी अन्य न्यायालयों मे अलग–अलग वाद विचाराधीन रहते हुए धारा 14 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे वसूली के लिए वाद दायर नही कर सकता है। अप्रार्थीगण को एक ही अपराध के लिए अलग–अलग कई सजायें नही दी जा सकती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत यह प्रतिबन्ध नही है कि एक प्रकरण मे वसूली के लिए अलग–अलग न्यायालयों मे वाद विचाराधीन होने पर प्रार्थी इस एक्ट की धारा 14 मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति बाद सुनवाई खारीज किया जाता है। पत्रावली मे अन्तिम निर्णय के लिए पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 1 रामचन्द्र नैन पुत्र श्री दीवान सिंह नैन के मालिकाना हक की अचल सम्पत्ति जो कि आबादी भूमि, वार्ड नम्बर 14, भरिना पिलानी जिला झुंझुनूं राजस्थान पर स्थित है जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी साम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेफल 324 वर्गगज है का पजेशन प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के [illegible] आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.12.01 15:43:31 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं